लोक सभा

पुनरीक्षित कार्य-सूची

बुधवार, 16 सितम्बर, 2020/25 भाद्रपद, 1942 (शक)

अपराह्न 3 बजे

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित मंत्री सभा पटल पर पत्र रखेंगे:-

1. **श्री प्रहलाद जोशी** कोयला मंत्रालय तथा खान मंत्रालय के लिए;

2. **श्री राव इंद्रजीत सिंह** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए;

3. **श्री श्रीपाद येसो नाईक** रक्षा मंत्रालय के लिए;

4. **डॉ. जितेन्द्र सिंह** कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के लिए;

5. **श्री हरदीप सिंह पुरी** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए;

6. **श्री अर्जुन राम मेघवाल** संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए;

7. **श्री धोत्रे संजय शामराव** संचार मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए;

8. **श्री अंगड़ी सुरेश चन्नाबसप्पा** रेल मंत्रालय के लिए; और

9. **श्री सोम प्रकाश** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए।

(अलग सूची में मुद्रित)

राज्य सभा से संदेश

10. **महासचिव** वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020 के बारे में राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना देंगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

11. **डॉ. किरिट पी. सोलंकी**

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2020-2021) के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे:-

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन' विषय के बारे में समिति का दूसरा प्रतिवेदन।

(2) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'भारत संचार निगम लिमिटेड के विशेष संदर्भ में सरकारी सेवाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों में निजीकरण, बाह्य स्रोतों से कार्य और संविदात्मक रोजगार के आलोक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु अर्थोपाय' विषय के बारे में समिति का तीसरा प्रतिवेदन।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'प्रसार भारती के विशेष संदर्भ में सरकारी सेवाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों में निजीकरण, बाह्य स्रोतो से कार्य और संविदात्मक रोजगार के आलोक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु अर्थोपाय' विषय के बारे में समिति का चौथा प्रतिवेदन।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

12. **श्री अंगड़ी सुरेश चन्नाबसप्पा** रेल मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

----

13. **नियम 377 के अधीन मामले**

सांविधिक संकल्प

***14.** **श्री मनीश तिवारी**

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

प्रो. सौगत राय

एडवोकेट डीन कुरियाकोस

श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री जसबीर सिंह गिल

श्री विनायक भाऊ राउत

श्री पी.आर. नटराजन

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर

श्री अमर सिंह

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

एडवोकेट ए.एम.आरिफ निम्नलिखित संकल्प पेश करेंगे:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 26 जून, 2020 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 12) का निरनुमोदन करती है।"

विधायी कार्य

विचार तथा पारित किए जाने के लिए विधेयक

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

*15. **श्रीमती निर्मला सीतारमण** प्रस्ताव करेंगी कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

(अलग सूची में मुद्रित संशोधन पेश किए जाएंगे)

यह प्रस्ताव भी करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए।

*** मद संख्या 14 और 15 एक साथ ली जाएंगी।**

सांविधिक संकल्प

$16. एडवोकेट डीन कुरियाकोस

श्री मनीश तिवारी

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

प्रो. सौगत राय

श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री जसबीर सिंह गिल

श्री विनायक भाऊ राउत

श्री संतोख सिंह चौधरी

श्री पी.आर. नटराजन

श्री अमर सिंह

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री बैन्नी बेहनन

एडवोकेट ए.एम.आरिफ निम्नलिखित संकल्प पेश करेंगे:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 10) का निरनुमोदन करती है।"

विधायी कार्य

विचार तथा पारित किए जाने के लिए विधेयक

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020

$17. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रस्ताव करेंगे कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहां, जहां कृषक और व्यापारी, ऐसी कृषक उपज के, विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है, का उपबंध करने के लिए; बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधी विधानों के अधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अंतराज्यिक और अंतःराज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए; इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुसाध्य ढांचे का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

(अलग सूचियों में मुद्रित संशोधन पेश किए जाएंगे)

यह प्रस्ताव भी करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

$ मद संख्या 16 और 17 एक साथ ली जाएंगी।

सांविधिक संकल्प

#18. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
एडवोकेट डीन कुरियाकोस
प्रो. सौगत राय
श्री अधीर रंजन चौधरी
श्री मनीश तिवारी
श्री जसबीर सिंह गिल
श्री विनायक भाऊ राउत
श्री संतोख सिंह चौधरी
श्री अमर सिंह
श्री कोडिकुन्नील सुरेश
श्री बैन्नी बेहनन निम्नलिखित संकल्प पेश करेंगे:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है।"

विधायी कार्य

विचार तथा पारित किए जाने के लिए विधेयक

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020

#19. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रस्ताव करेंगे कि ऐसे कृषि करारों पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए कृषि-कारबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण और उनको सशक्त करते हैं, राष्ट्रीय रूपरेखा का तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

(अलग सूची में मुद्रित संशोधन पेश किए जाएंगे)

यह प्रस्ताव भी करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

नई दिल्ली;
15 सितम्बर, 2020
24 भाद्रपद, 1942 (शक)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

 # मद संख्या 18 और 19 एक साथ ली जाएंगी।